राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः संस्था/चि0अ0/एटी/प01/2008/**193** दिनांक– **29/09/08**

–: आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000–275–13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए–11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/– प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:–

क्रम सं0	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा. राजेश कुमार, क्वाटर नं. जी–110, सी. इ.इ.आर.आई कॉलोनी, पिलानी, झुन्झुनू	68	25-09-77	Gen-M	प्रा0स्वा0केन्द्र खोड (पाली)
2.	डा0 भावना शर्मा, द्वारा डी–725, मयूर पथ, गांधीनगर जयपुर (राज0)–302015	153	13-10-74	Gen-F	प्रा0स्वा0केन्द्र धवली (जयपुर)
3.	डा. अशोक चक्र मीणा, पुत्र श्री सुवालाल मीणा, 15, पटेल नगर, महेश नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302015	219	30-06-81	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र बांकली (पाली)

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंख्ला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (संशोधन) नियम,2000 के नियम 22–क के तहत इन्हें चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के तुरंत पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिये ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है। दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर–भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नही करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नही है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग राजस्थान,जयपुर।
4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप- 2), राजस्थान, जयपुर।
6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।**
9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा।
10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
11) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।